COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

न्यायालय माननीय संभाग आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर (म0प्र0)

पुनर्विलोकन याचिका कमांक /2016

आवेदिका : झीनी बाई पति बाराती, निवासी–ग्राम अलोनीखापा,रै. प.ह.नं. 28 तहसील केवलारी जिला सिवनी (म.प्र.)

बनाम

उत्तरवादी : म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर सिवनी, जिला सिवनी (म.प्र.)

पुनर्विलोकन याचिका अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

आवेदिका श्रीमान् न्यायालय द्वारा पारित अपील प्रकरण कमांक 791/ए–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 23/1/2016 से परिवेदित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर श्रीमान् न्यायालय के समक्ष यह पुनर्विलोकन याचिका सादर प्रस्तुत करती हूँ : –

19 JUL 2016

अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, आवेदिका की ग्राम अलोनी खापा राजस्व निरीक्षक मण्डल केवलारी, तहसील केवलारी जिला सिवनी पर स्थित पटवारी हल्का नं. 28 में खसरा नं. 36/2, 65/2, 162/2, एवं 202/2, जिसका कुल रकवा कमशः 0.67 हे., 1.01 हे, 0.05 एवं 1.90 हे. इस प्रकार कुल रकवा 3.63 हे. भूमि आवेदिका के नाम पर समस्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।

2. यह कि, आवेदिका द्वारा उसके स्वामित्व एंव अधीपत्य की उक्त भूमियों में से भूमि जिसका खसरा नं. 65/2, रकवा 1.01 हे. भूमि जो कि, बंजर एवं अनुपजाऊ होने से कृषि योग्य भूमि नहीं थी को शेष बची भूमि को उपजाऊ बनाने एवं सदभावनापूर्व रूपयों की आवश्यकता होने से विकय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर सिवनी जिला सिवनी की ओर प्रस्तुत किया गया।

3. यह कि, जिस पर आवेदिका के द्वारा उक्त भूमि को गैर आदिवासी को विकय करना एवं विकय पश्चात् प्राप्त राशि का उपयोग अन्य भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये सदभावनापूर्वक करना साथ ही विकय पश्चात आवेदक के पास अजीविका हेतु पर्याप्त मात्रा में कृषि भूमि शेष रहना उल्लेख करते हुये उक्त भूमि को विकय करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. यह कि, आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार केवलारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर एवं अनुविभागीय अधिकारी केवलारी द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक – 9092–एक/2017 विविध

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ आदि के हस्ताक्ष
11-04-19	अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर की ओर से प्रकरण कमांक 791 अ 21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 23–1–2016 को पुनरावलोकन में लेने हेतु अनुमति वावत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 2/ पुनरावलोकन के आधारों वावत् शासन के पैनल लायर श्री राजीव शर्मा व्दारा बताया गया कि अपर आयुक्त न्यायालय में महिला झीनी वाई व्दारा नियुक्त अभिभाषक 4 माह से गहन चिकित्सा इकाई में भरती रहने के कारण उसके व्दारा प्रस्तुत प्रकरण कमांक 791 अ–21/13–14 अपील में समुचित पैरवी न होने से आदेश 23–1–16 पारित हो गया है एंव इन्हीं कारणों से आदेश 23–1–16 को पुनरावलोकन में लेने हेतु वह समय पर अपर आयुक्त के समक्ष आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी है। 3/ प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार किया गया। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण कमांक 791 अ–21/13–14 में पारित आदेश 23–1–16 से महिला झीनी वाई व्दारा विकय की जाने वाली भूमि सर्वे कमांक 65/2 रकबा 1.01 है. के विकय की अनुमति वावत् प्रस्तुत अपील को निरस्त किया है एंव इसी आदेश का वह पुनरावलोकन कराना चाहती है, जबकि अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर का आदेश दिनांक 23–1–16 अपील योग्य है एंव महिला झीनी वाई के पास आदेश दिनांक 23–1–16 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का उपचार होते हुये उनके व्दारा प्रस्तुत	

पुनरावलोकन आवेदन पर अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर पुनर्सुनवाई करना चाहते हैं। अपर आयुक्त , जबलपुर ने प्रकरण कमांक 14/16–17 अ 21 पुनरावलोकन में आर्डरशीट दिनांक 24–10–16 में जो आधार बताये हैं वह उचित प्रतीत नहीं होते हैं। म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन के लिये निम्न आधार बताये गये हैं :–

1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चला जो सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी,
2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या
3. कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रस्ताव ठोस आधारों पर आधारित न होने से अमान्य किया जाता हैं। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण आदेश की प्रति सहित वापिस किया जाकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जाय।

सदस्य